तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.01.24	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि विवादित आराजी के 1/3 हिस्से की खातेदार शिवदेई थी। उन्होनें 1/3 हिस्से में 4000/10133 यानी कुल 40 एयर तहत न्यायालय में दावा दायरी के पूर्व ही अपीलाण्ट को विक्रय कर दिया। रैस्पो0 ने एक अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विवादित आराजी बाबत् विभाजन का किया। परन्तु उक्त दावे में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट का नामान्तकरण रूक गया। जबकि अपीलाण्ट ने दावा दायरी से पूर्व ही विवादित आराजी क्रय कर ली थी। अतः अजनबी क्रेता का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। रैस्पो0 संख्या 01 भी क्रेता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के प्रभाव को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1993 पेज 645, आरआरटी 2004(2) पेज 1117 का उद्धरण प्रस्तुत किया। रैस्पो0 के अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि दावा एवं स्थगन आदेश के समय अपीलाण्ट की स्थिति देखी जावेगी। रैस्पो0 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में बॅटवारे का दावा है। अपीलाण्ट का राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नहीं है। अपीलाण्ट को खरीददार की हैसियत से अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनना था। परन्तु अपीलाण्ट ने ऐसा ना करते हुये, अपील में आये हैं, जो गलत है। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट किस प्रकार व्यथित पक्ष हैं। कुछ नहीं बताया। सभी खातेदारो को पाबन्द किया है। विवादित आराजी को क्रय करने के तथ्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा भी नहीं है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। रैस्पो0 ने जवाब दे दिया है। अतः अपील को अंतिम तौर पर ही तय किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि दावे के पूर्व ही विवादित आराजी में अपीलाण्ट को अधिकार प्राप्त हो चुके थे। अतः अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। प्रकरण में हिस्सा विवादित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2023 तक का जारी हुआ है। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 17.10.2023 को एक माह पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गयी है। ऐसे अन्तरिम आदेश की अपील या निगरानी मेनटेनेबिल नहीं होती है। यदि अधीनस्थ न्यायालय आदेश 39 नियम 3 की विधिवत पालना नहीं करता है तो ऐसी सूरत में ही अपील की जा सकती है। हस्तगत अपील में 39 नियम 3 की समयावधि समाप्त होने से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। यदि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से कोई उज्र था तो वह अधीनस्थ न्यायालय में ही उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। इसलिये अपील संधारणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। परन्तु हम अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी	

निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर